

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 14 / 2024

प्रार्थी -  
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. सोहनलाल पुत्र नेमीचंद जाति जैन निवासी जूना केराडू मार्ग, बाड़मेर हाल जैन मोहल्ला, गुढामालानी जिला बाड़मेर (मैसर्स अश्विन ट्रेडिंग कम्पनी, गुढामालानी का मालिक)
2. राकेश कुमार पुत्र पूनाराम निवासी जुर जुड जोधपुर (मैसर्स राकेश एन्टरप्राइजेज, जे-11-14, मण्डोर मण्डी जोधपुर का मालिक)
3. चुडासमा अशोक भाई बोडाभाई निवासी चुडासमा शेरी नं. 01 शील जुनागढ गुजरात (मैसर्स Korova Milk Products Private limited, Near Gomta Chawkadi NH8-B AT. Gomta, TA Gondal District Rajkot Gujarat's Nominee and manager)
4. मैसर्स Korova Milk Products Private limited, Near Gomta Chawkadi NH8-B AT. Gomta, TA Gondal District Rajkot Gujarat

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूरचंद जांगिड़, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 से 04 की ओर से उपस्थित।





आदेश

दिनांक : 19.02.2025


1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान मैसर्स अश्विन ट्रेडिंग कम्पनी, गुडामालानी पर निरीक्षण दिनांक 07.08.2023 को अलग-अलग पैकिंग भरा हुआ खाद्य पदार्थ घी (Korova) Cow's Ghee (500-500 मिली के 20 जार), को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500-500 मिली के 04 जार वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2192 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ घी (Korova) Cow's Ghee का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (प्रसंग ब्राण्ड) (गाय का प्रिमियम घी) का नमूना अवमानक (Substandard) पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।
2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिरक्षण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 05.02.2024 में उक्त नमूना अवमानक (Substandard) स्तर का पाया गया है। निर्दिष्ट प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार R.M. Value का मानक स्तर Not less than 24 के मुकाबले 22.93 तथा Test for the presence of Vegetable oils का मानक स्तर Shall be absent के मुकाबले Present पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं

hpa  
A

है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में खाद्य पदार्थ नमूने के अवमानक पाये जाने के प्रतिरक्षण में कोई टोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा उनके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस में अप्रार्थी संख्या 01 की फोट होना बताया जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 को तर्क किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 02 पर रुपये 25,000/- एवं अप्रार्थी संख्या 03 एवं 04 पर रुपये 1,00,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 19.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र सिंह चांदावत)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर